बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 317 / 2008
दायर दिनांक :– 05.07.2008

अनवान

1. श्री नाहरा पिता रामदेव कहार नि. बदनपुरा तह. जहाजपुर
2. श्री खाना पिता रामदेव कहार नि. बदनपुरा तह. जहाजपुर
3. श्रीमति देऊ विधवा रामदेव कहार नि. बदनपुरा तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. श्री कालू पिता गौरू कहार नि. बदनपुरा तह. जहाजपुर
2. श्री लादू पिता केसरा कहार नि. बदनपुरा तह. जहाजपुर
3. श्री छोटू पिता केसरा कहार नि. बदनपुरा तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 92ए, आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री अमित बिडला, वकील वादीगण
2. श्री अन्जनी कुमार शर्मा, वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2

:: निर्णय :: दिनांक 03.02.2020

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम बदनपुरा प0 ह0 जसवन्तपुरा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 6572 रकबा 02 बीघा 7 बिस्वा भुमि खातेदारी से वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर वादीगण निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर हर साल लगान जमा कराता आ रहा हैं। उक्त भुमि के प्रतिवादीगण पडोसी है। जो 2007 में प्रतिवादीगण ने जबरन गिरोह बनाकर वादीगण की आराजीयात मे से करीब 2 बीघा भूमी पर कब्जा कर लिया। वादीगण ने उन्हे रोकने का प्रयास किया तो भी प्रतिवादीगण नही माने कहा कि हमारे पास धन बल है हमारा कुछ नही बिगाड सकते हो। वादीगण की पेरा संख्या एक में भूमी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरान कब्जा कर लेने से वादीगण द्वारा राजस्व अभियान में आवेदन किया और अपनी भूमी की पत्थरगढी कराये जाने का प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी जी को राजस्व कैम्प फलासिया में पेश किया। उपखण्ड अधिकारी महोदय जहाजपुर ने पत्थरगढी 38 / 23 दिनांक 06.02.2008 राजस्व अभियान केम्प फलासिया दिनांक 06.02.2008 को पटवारी हल्का व गिरदावर वादीगण की कुलिया आराजीयात जिसमें पेरा सख्या एक में वर्णित आराजीयात भी शामील है, की पत्थरगढी करने का आदेश दिया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के आदेश की पालना में पटवारी हल्का व

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

लगभग 2 बिघा भूमी पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना पाया। इसी अनुसार पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा पत्थरगढी का मौका पर्चा तैयार किया गया इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को अपनी भूमी पर से कब्जा हटाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण वादीगण पर नाराज हो गये एंव वादी के साथ फोजदारी करने पर आमादा हुये। प्रतिवादीगण ने कहा कि हमारे पास धन, बल व राजनितिक पहुंच है तू हमारा कुछ नही बिगाड सकता है। हमने जो कब्जा कर लिया है उस भूमी पर से कब्जा नही छोडेगें। प्रतिवादीगण वादीगण के अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि में दखल की नियत रखते है। जिन्होने वादीगण को बेदखल करने की धमकी दे रखी हैं। वादीगण शांतिपूर्ण ढंग से काश्त कर जीवन यापन कर रहे है। इस कारण वादीगण की भूमि में किये गये शक्ति के बल कब्जा को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जाना आवश्यक हैं। साथ ही भविष्य में वादीगण की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे न ही अन्य से करावें इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। वादीगण उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण अनाधिक कब्जे की भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाये जाने की डिक्री एवं वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भुमि कें प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दंखलदाजी नही करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की मांग की।

वादीगण वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की और से श्री अन्जनी कुमार शर्मा, एडवोकेट का अधिकार पत्र पेश हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया।

वकील वादीगण ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2063 से 2066 की प्रति पेश की। नकल पत्थरगढी पर्चा मौका एवं नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण बहस के दौरान बताया की वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर शक्ति के बल पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाये जाने एवं प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। मैने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादीगण के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2063–66 से होती है। वादीगण के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जो की वादीगण की भूमि है। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तूत पत्थरगढी मौका पर्चा की नकल से होती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की खातेदारी भुमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने से वादीगण कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिससे न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम बदनपुरा प0 ह0 जसवन्तपुरा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 6572 रकबा 02 बीघा 7 बिस्वा में प्रतिवादीगण द्वारा किया गया कब्जा से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण को प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखंलदांजी न तो स्वंय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.02.19 14:57:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: